"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अगस्त 2006- भाद्र 9, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 11175/287/21-अ/प्रारूपण/06. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित कांघोनयम जिस पर दिनांक 29-08-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 22 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006

विषय सूची

खण्ड :

434

- 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
- 2. परिभाषाएं.
- समिति एवं अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्तियां.
- 4 पथकर तथा शुल्क अधिरोपित करने की शक्तियां.
- लाईसेंस देने की शक्तियां.
- स्थलों का आवटन.
- नियम बनाने की शक्तियां.
- मेला अधिकारी की आदेश करने की शक्तियां.
- 9 आग लगने पर मेला अधिकारी की शक्तियां.
- 10. दंड.
- 11. अप्राधिकृत निर्माण हटाने की शक्ति.
- 12. देय की वसूली.
- 13. शक्तियों का प्रत्यायोजन.
- 14. मेला क्षेत्र में म्युनिसिपल कार्य.

छत्तीसगढ अधिनियम

(क्रमांक 22 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006

राजिम में कुंभ मेले में उचित प्रबंधन उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो : --

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ''छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006'' होगा, संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. (1)
- (2)यह ऐसे क्षेत्र पर लागू होगा जो समय-समय पर शासन द्वारा राजपत्र में राजिम कुंभ मेला क्षेत्र अधिसूचित किया जाये,
- यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. (3)
- इस अधिनियम में जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :-2.

1.

3

परिभाषाएं.

- (h) ''मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी'' से तात्पर्य है, अधिनियम के धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी,
- ''कलेक्टर'' से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) (2) के अंतर्गत कलेक्टर !
- ''जिला मजिस्ट्रेट'' से तात्पर्य है, संबंधित जिले का जिला मजिस्ट्रेट, $(3)_{1}^{1}$
- ''शासन'' से तात्पर्य है, छत्तीसगढ शासन, (4)
- ''मेला क्षेत्र'' से तात्पर्य है, धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत इस रूप में अधिसूचित (5)
- ''मेला निधि'' से तात्पर्य है, वह निधि जिसमें मेला अवधि के दौरान मेला क्षेत्र में पथकर, (6) फीस, कर आदि लगाने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली समस्त राशियां, शासन से प्राप्त अनुदान, मेले के लिए प्राप्त दान एवं मेले के लिए प्राप्त अन्य राशियां जमा की जाएंगी,
- ''मेला'' से तात्पर्य है, प्रतिवर्ष होने वाला राजिम का कुंभ मेला तथा 12 वर्ष में एक बार (7)होने वाला राजिम का महाकुभ मेला,
- ''मेला अधिकारी'' से तात्पर्य है, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन (8)नियुक्त कोई अधिकारी,
- ''मेला अवधि'' से तात्पर्य है, शासन द्वारा राजपत्र में राजिम मेला अवधि के रूप में (9)अधिसूचित अवधि.
- शासन, नीति निर्धारित करने एवं इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्नच्यों का पालन करने समिति एवं अधिकारियों को नियक्त (1) में जिला मजिस्ट्रेट , मेला अधिकारी तथा स्थानीय समिति को मार्गदर्शन करने एवं सलाह करने की शक्तियां. देने के लिए एक केन्द्रीय समिति नियुक्त करेगा,

- (2) शासन, जिला मजिस्टेट तथा मेला अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए स्थानीय समितियां भी नियुक्त कर सकेगा,
- शासन, डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को मेला अधिकारी के कर्तच्यों (3) के पालन हेतु नियुक्त करेगा,
- शासन, किसी चिकित्सा अधिकारी को मेला हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त करेगा. (4)

पथकर तथा शुल्क अधिरोपित करने की 💪 शक्तियां. मेला अधिकारी, शासन के सामान्य तथा विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए स्थानीय समिति के परा से, यदि यह समिति धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त की गई हो, मेला क्षेत्र के भीतर, मेला अव के दौरान -

- (i) ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहन अथवा पशु अधवा विक्रय के लिए सामान लाने वाले व्यक्ति पथकर, और
- (ii) ऐसे क्षेत्र के भीतर विक्रय किए जाने वाले पशुओं के पंजीकरण पर शुल्क

अधिरोपित कर सकेगा.

लाईसेंस देने की श्वितयां.

- (1) किसी भी व्यक्ति को मेला अधिकारी से लाईसेंस लिए बिना मेला अविध में मेला क्षेत्र में कोई व्यवस अथवा व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी,
 - (2) लाईसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया नियमों द्वारा विहित की जा सकेगी,
 - (3) लाईसेंस का शुल्क तथा शर्ते मेला अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएंगी.

स्थलों का आवटन

- (1) मेला अधिकारी किसी प्रयोजन के लिए जो हिन्दू धर्म के विपरीत न हो, आम नीलामी द्वारा या अन्यथ जैसे वह आवश्यक समझे, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को स्थल आवंटित कर सकेगा और स्थल के लिए ऐसा किराया निर्धारित कर सकेगा जैसा कि उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो,
 - (2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना मेला अधिकार्र विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए स्थल आवंटित कर सकेगा.
 - (i) हिन्दू धार्मिक सोसाइटी,
 - (ii) सामाजिक एवं अन्य संगठन;
 - (iii) मिठाई की दुकानें एवं भोजनालय;
 - (iv) अधिकारी;
 - (v) बाजार;
 - (vi) शौचालय, पेशाबघर एवं घूरा;
 - (vii) स्नान के स्थान;
 - (vi;i) मनोरंजन;
 - (ix) कृषि, उद्योग एवं अन्य प्रदर्शन एवं निदर्शन;
 - (x) डाक, तार एवं दूरभाष कार्यालय;
 - (xi) चिकित्सा केन्द्र;
 - (xii) विश्राम एवं सुरक्षा केन्द्र;
 - (xiii) दमकल केन्द्र/अग्निशमन.

नियम बनाने की शक्तियां.

7.

- (1) शासन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा,
- (2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शासन निम्नलिखन के लिए नियम बना सकेगा:—
 - (i) मेला निधि की स्थापना,
 - (ii) मेला निधि से व्यय,
 - (iii) मेला निधि के अधिशेष का उपयोग,
 - (iv) धारा 5 के अंतर्गत लाईसेंस प्रदान की प्रक्रिया,
 - (v) धारा 8 के अंतर्गत मेला अधिकारी एवं शासन द्वारा किए गए आदेशों के प्रकाशन की रीति,

- धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त की जाने वाली समितियों की सदस्यता एवं बैठकों (vi)
- इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, (3)
- (4) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम यथासंभव शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे |
- धारा 7 के अंतर्गत बनाए गए नियमों, तथा शासन एवं जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य एवं मेला अधिकारी की आदेश करने की (1)विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, मेला अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों को शिक्तवां. क्रियान्वित करने के लिए आदेश कर सकेगा,
- उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेला अधिकारी -(2)
 - मेला क्षेत्र में बनाए गए भवनों एवं ढांचों एवं मेला क्षेत्र में लाई गई सामग्री की (i)
 - (ii) पानी अथवा आग बुझाने के लिए आवश्यक सामग्री के प्रदाय हेतु;
 - खाना पकाने अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए आग का उपयोग प्रतिबंधित (iii) करने हेतु;
 - धारा 5 के अंतर्गत लाईसेंस के लिए शर्ते तथा शुल्क निर्धारित करने हेतु; (iv)
 - (v) खतरनाक संक्रामक बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति का अनिवार्य पृथक्करण एवं हटाया जाने हेतु:
 - किसी मकान, निवास, भवन, जलस्रोत अथवा संक्रामक बीमारी के किसी (vi) अन्य अनुमानित स्रोत के कीटाणुनाशन हेतु:
 - शर्तें जिनके अध्यधीन लोग मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, अथवा बाहर जा (vii) सकते हैं, हेत्
 - (viii) किसी खाद्य पदार्थ अथवा मानव उपयोग की किसी अन्य वस्तु को नष्ट किया जाने हेतु;
 - मेला अवधि के दौरान उचित किराए पर किसी सार्वजनिक या निजी भवन और (ix) किसी सार्वजनिक या निजी वाहन का अधिग्रहण करने हेतु;

आदेश कर सकेगा

- मेला अधिकारी द्वारा किए गए आदेश ऐसी रीति से प्रकाशित किए जाएंगे जैसी कि विहित की जाए,
- कोई भी व्यक्ति मेला अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के प्रकाशित होने के 15 दिन के (4) भीतर शासन के समक्ष आपत्ति कर सकता है,
- (5) शासन आदेश द्वारा स्वप्रेरणा से अथवा उसके समक्ष प्रस्तुत की गई आपित के आधार पर मेला अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश को अपास्त अथवा संशोधित कर सकेगा,
- इस धारा के अंतर्गत मेला अधिकारी के आदेश को अपास्त अथवा संशोधित करने वाला (6) शासन का आदेश भी विहित रीति से प्रकाशित किया जाएगा.
- आग लगने की किसी घटना पर मेला अधिकारी अथवा शासन द्वारा इस हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत आग लगने पर मेला अधिकारी की कोई व्यक्ति, यदि उसके आंकलन के अनुसार ऐसा करना आग को बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक शिक्तयां. हो. मेला क्षेत्र में किसी ढांचे को तोडने का आदेश दे सकेगा और इस धारा के अंतर्गत सद्भावपूर्ण कार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही अथवा वाद नहीं होगा.

दंड.

कोई व्यक्ति जो :-

10.

12.

- (1) मेला क्षेत्र में कोई अप्राधिकृत निर्माण करता है, या
- (2) मेला क्षेत्र में किसी अप्राधिकृत स्थान का उपयोग शौचालय, पेशाबघर अथवा घूरे के रूप में करता है, या
- (3) धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त किए बिना कोई व्यवसाय या व्यापार करता है अथवा ऐसे लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता है, या
- (4) इस अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है. या
- (5) इस अधिनियम के अंतर्गत विधिसम्मत तरीके से जारी किसी आदेश अथवा लिखित निर्देश का उल्लंघन करता है,

तो साधारण कारावास से जो 3 माह तक हो सकेगा, अथवा जुर्माने से जो रुपये एक हजार तक हो सकेगा अथवा दोनों से, और जहां अपराध जारी रहता है, अथवा बार-बार किया जाता है, तो और जुर्माने से जो प्रथम दोबसिद्धि के दिनांक से जिस दौरान अपराधी के द्वारा अपराध किया जाना प्रमाणित हुआ है प्रतिदिन रु. 100/- (सौ रुपये मात्र) तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा.

अप्राधिकृत निर्माण हटाने की शक्ति. 11.

मेला अधिकारी मेला क्षेत्र से कोई अप्राधिकृत निर्माण हटा सकेगा, और उसे हटाए जाने का व्यय इस प्रकार का निर्माण करने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा

देय की वसूली.

- (1) यदि कोई व्यक्ति मेला अधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर धारा 6 के अंतर्गत नियत किराणा, वा थारा 11 में उल्लिखित व्यय भुगतान करने में असफल रहता है तो मेला अधिकारी हैंदी व्यक्ति से वस्ली योग्य राशि दर्शाते हुए एक प्रमाणपत्र कलेक्टर को अग्रेषित वर अक्ता, और कलेक्टर ऐसे व्यक्ति को आपित करने का अवसर प्रदान करेगा, और सुनवाई एवं की गई आपितियों पर विनिश्चय करने के पश्चात् प्रमाणपत्र में अंकित राशि अथवा ऐसी राशि जो वह बकाया पाए भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करेगा और यदि कलेक्टर यह पाता है कि ऐसे व्यक्ति से कोई राशि वसूली योग्य नहीं है, तो वह
- (2) मेला अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी पट्टेदार या लाईसेंसधारी को उसे आवंटित स्थल से बेदखल कर सकेगा.

शवितयों का प्रत्यायोजन.

13. शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धारा 8 की उपधारा (4), (5) तथा (6) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियां अपने अधीन किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा.

प्रमाणपत्र अपने निष्कर्ष के साथ मेला अधिकारी को लौटा देगा.

मेला क्षेत्र में म्युनिसिपल कार्य. 14.

- (1) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 23), छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (1961 का क्रमांक 37) तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (1994 का क्रमांक 1) में कोई प्रावधान होते हुए भी शासन मेला अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सम्पूर्ण मेला अविध या उसके कुछ भाग के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में स्थानीय स्वशासन की किसी संस्था की सभी या कुछ शक्तियां प्रयोग करने के लिए तथा सभी या कुछ कार्य करने के लिए सशक्त कर सकेगा,
- (2) जब तक तथा जिस सीमा तक यह शक्तियां इस धारा में सशक्त किए गए अधिकारी में निहित होंगी, तब तक तथा उस सीमा तक स्थानीय स्वशासन की संस्था इस प्रकार अधिसूचित क्षेत्र में उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी, एवं उन कार्यों को नहीं करेगी, और ऐसा क्षेत्र ऐसे स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र से अस्थायी रूप से अलग समझा जाएगा.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 11175/287/21-अ/प्रारूपण/06. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजिम कुम्भ मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप -सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 22 of 2006)

THE CHHATTISGARH RAJIM KUMBH MELA ACT, 2006

An Act to provide for the proper management of the Kumbh Mela at Rajim.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Seventh year of the Republic of India. as follows:

- This Act may be called "The Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela Act, Short Title, extent and com-2006". Short Title, extent and commencement.
 - (2) It shall extend to such area as may from time to time be notified in the official gazette by the Government as the Rajim Kumbh Mela Area.
 - (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In this Act unless the context otherwise requires -

Definitions.

- (1) "Chief Health Officer" means an officer appointed under sub-section(4) of Section 3 of the Act,
- (2) "Collector" means a collector under the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959),
- (3) "District Magistrate" means the District Magistrate of the concerned district,
- (4) "Government" means the Government of Chhattisgarh.
- (5) "Mela Area" means the area notified as such under sub-section (2) of section 1.
- (6) "Mela fund" means the fund whereto all receipts on account of the imposition of tolls, fees, taxes etc. during the Mela Season in the Mela Area, grant-in-aid from the Government, donations, and any other money received for the mela shall be credited,

officers.

छत्तीसगढ राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2006

(7) "Mela" means the Kumbh Mela at Rajim held every year, and the Mahakumbh Mela held at Rajim once every 12 years, "Mela Officer" means an officer appointed under sub-section (3) of (8) Section 3 of the Act. (9) "Mela Season" means the period notified in the official gazette as the Rajim Mela season by the Government. Powers to appoint Committees & The Government shall appoint a Central Committee to formulate policy (1) and guide and advise the District Magistrate, the Mela Officer and the Local Committee in the performance of their duties under this Act. (2) The Government may also appoint Local Committees to assist the District Magistrate and the Mela Officer in the performance of their duties under this Act, (3) The Government shall appoint any officer not below the rank of Duputy Collector to perform the duties of Mela Officer, (4) The Government shall appoint any medical officer as Chief Health Officer for the Mela. Powers to impose tolls and fees. Subject to the general and special orders of the Government, the Mela Officer may in consultation with the Local Committee, if it has been appointed under sub section (2) of section 3, impose within Mela Area:-(i) Tolls on any vehicle or animal entering, or any person bringing goods for sale into such area, and (ii) Fees on the registration of animals sold within such area. Powers grant to licence. 5. (1) No person shall be allowed to practice any profession or trade in the Mela Area during the Mela Season without taking a licence from the Mela Officer, (2) The procedure for grant of licence may be prescribed by rules. The conditions and fees of licence shall be fixed by the Mela Officer. (3)Allotment of sites. 6. (1) The Mela Officer may allot sites by public auction or otherwise as he may deem necessary for any purpose not repugnant to Hindu religion. to any person or class of persons, and may fix such rent for the site as may appear reasonable to him, (2)Without prejudice to the generality of the power conferred by sub section (1), the Mela Officer may allot sites for the following in particular :-(i) Hindu religious societies; (ii) Social and other organizations; (iii) Sweet shops and restaurants; (iv) . Officials; (v) Market places;

(vi)

(vii)

(viii) (ix)

Latrines, urinals and rubbish heaps;

Agricultural, industrial and other exhibitions and demons-

Bathing places; Recreation;

trations;

- Post, telegraph and telephone offices; (x)
- (xi) Centers of medical aid;

7.

8.

- Centers for rest and protection; -(xii)
- Fire station/Fire extinguisher. (xiii)
- Powers to make rules. The Government may make rules to carry out the purposes of this Act, (1)
- Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-(2)section (1), the Government may make rules for -
 - The establishment of a Mela Fund; (i)
 - Expenditure from the Mela Fund; (ii)
 - Utilization of surplus from the Mela Fund; (iii)
 - The procedure for grant of licence under section 5; (iv)
 - Manner in which orders made by the Mela Officer and the (v) Government under section 8 shall be published;
 - The Membership and procedure of meetings of the commit-(vi) tees to be appointed under section 3;
- Rules made under this Act shall be published in the official gazette, (3)
- Rules made under this Act shall be laid before the Legislative (4) Assembly as soon as possible.
- Subject to the rules made under section 7 and general or special Powers of Mela Officer to make (1) orders of the Government of the District Magistrate the Mela Officer may make orders to carry out the purposes of this Act,

- Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-(2) secton (1), the Mela Officer may make orders for :-
 - Safety of buildings and structures put up in the Mela Area (i) and the articles brought in the Mela Area;
 - (ii) Supply of water and any material necessary for extinguishing fire;
 - Restricting the use of fire for cooking or for any other pur-(iii) pose;
 - Fixing the fees and conditions of licence under section 5; (iv)
 - Compulsory isolation and removal of any person suffering (v) from dangerous infectious diseases;
 - (vi) Disinfection of any house, dwelling, building, source of water supply or any other suspected source of infection;
 - Conditions subject to which persons can enter or leave the (vii) Mela Area;
 - Destruction of any food or other material meant for human (viii) consumption;
 - Requisitioning any public or private building and public or (ix) private vehicle for a reasonable rent during the Mela Season:
- (3)Orders made by the Mela Officer shall be published in the monner as may be prescribed,
- (4) Any person may prefer any objection to the Government about such orders within 15 days of their publication,
- The Government may by order either on its own motion or on an objection made to it, set aside, or modify any order made by the Mela Officer,

(6) Any such order of the Government setting aside or modifying any order made by the Mela Officer under this section shall also be published in the prescribed manner.

Powers of Mela Offcer on out- 9 break of fire.

In the event of an outbreak of fire, the Mela Officer or any person specially authorized by the Government in this behalf may order the demolition of any structure within the Mela Area if in his judgment its demolition is necessary or expedient for preventing the fire from spreading and no suit or other proceeding shall lie for any act done in good faith under this section.

Penalties.

10. Any person who :- :

- (1) Makes any unauthorized construction within the Mela Area; or
- (2) Uses any unauthorized place within the Mela Area as a latrine, urinal or rubbish dump, or
- Practices any profession, trade or calling without a licence obtained under the provisions of section 5 or commits a breach of conditions of such licence; or
- (4) Contravences any provisions of this Act or of any rules made under this Act; or
- (5) Disobeys any order or direction in writing lawfully issued under this Act:

Shall be punished on conviction with simple imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both, and where the offence is a continuing or recurring one, with a further fine which may extend to Rs. 100 (Rs. hundred only) for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in such offence.

Powers to remove unauthorized 11 construction.

The Mela Officer may remove any unauthorized construction within the Mela Area and the cost of such removal may be recovered from such person making such construction as arrears of land revenue.

Recovery of dues.

12

- (1) If any person fails to pay within the time allowed by the Mela Officer the rent fixed under section 6 or the cost referred to in section 11, the Mela officer may forward to the Collector a certificate specifying the amount due from such a person, and the collector shall give such a person an opportunity to prefer objection and shall after hearing and determining such objections as may be made, recover the amount entered in the certificate or such amount, if any, as he may find to be due, as arrears of land revenue and if the collector finds that no amount is due from such a person, he shall return the certificate to the mela officer with his findings.
- (2) The Mela Officer may eject any lessee or licencee who contravenes any rules or orders made under this Act from the site allotted to him.

Delegation of powers.

13. The Government may, by notification in the official gazette, delegate the powers conferred on it under sub-sections (4), (5), and (6) of section 8 to any authority subordinate to it.

ing any

14.

(1) Notwithstanding the provisions of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) or Chhattisgarh Panchayat Raj Act, 1993 (No. 1 of 1994), Government may by notification in the official gazette empower the Mela Officer or any other officer to exercise all or any of the powers and to perform all or any of the functions of any local self government institution in the whole or any part of the Mela Area for

Municipal functions within the Mela Area.

pecially not any cessary er pro-

the duration of the Mela Season or any part thereof.

(2) So long as and to the extent to which these powers are so vested in an officer empowered under this section, the local self government institution will cease to exercise those powers and to perform those functions in the area so notified and the area shall be deemed to be temporarily excluded from area of such local self government institution.

urinal

tained ons of

under

ir this

ctend with

rther

r the

4cla

'son

icer

the the

h a

ind unt

be

int ela

es

n,

rs

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172

रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 मई 2017 — वैशाख 11, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 भई 2017

क्रमांक 4115 A/डी. 91/21-अ/प्रारू./छ. ग./17 . — छत्तीसगद विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-04-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्हारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वहीं. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छल्तीसगढ राजपत्र, दिनांक 1 मंडे 2017

छत्तीसगढ अधिनियम (ऋमांक 6 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) को संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में छन्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

सं क्षिप्त विस्तार तथा प्रारंभ

- यह अधिनियम छन्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संजोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा. (1)
- इसका विस्तार ऐसे क्षेत्र पर होगा जिसे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर राजपत्र में राजिम कुंभ मेला (2) क्षेत्र अधिसूचिन किया जाये।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा
- मूल अधिनियम का

छत्तीसगढ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, २००६ (क्रमांक २२ सन् २००६) में,-

- प्रस्तावना में, शन्द "क्रभ मला" के स्थान पर, शन्द "क्रभ (कल्प) मेला" प्रतिस्थापित किया जाये; (本)
- धारा । की उप-धारा (1) में. संक्षिप्त नाम "छन्तोसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006" के स्थान (ख) पर, संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006" प्रतिस्थापित किया जाये;
- (F) जहां कहीं भी राव्य "कुंभ मेला" आया हो के स्थान पर, ऋद "कुंभ (कत्य) मेला" प्रतिस्थापित किया

- निरसन
- छन्तीसगढ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) अध्यादेश. 2017 (ऋ 2 सन् 2017) एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है

नया रायपुर, दिनांक । मई 2017

क्रमांक 4115 A/डो - 91/21-अ/प्रारु: /छ -ग /17.---- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक । < -2017 का अंग्रजी अनुबाद राज्यपाल के प्राधिकार में एनद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है

CHHATTISGARH ACT (No. 6 of 2017)

THE CHHATTISGARH RAJIM KUMBH MELA (AMENDMENT) ACT, 2017

An Act to amend the Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

This Act may be called the Chhattisgarh. Rajim Kumbh Mela (Amendment) Act, (1) title. Short 2017 extent and commencement. (2) It shall extend to such area as may be notified in the Official Gazette, by the State Government, as the Rajim Kumbh Mela Area, from time to time, It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. **(3)** 2. In the Chhatisgarh Rajim Kumbh Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006),-Amendment of the Principal Act. (a) in the preamble, for the word "Kumbh Mela", the word "Kumbh (Kalp) Mela" shall be substituted: (b) in san-section (1) of Section 1, for the short title "the Chhattisgarh Rajim Kumbh Meta Act, 2006", the short title "the Chhattisgarh Rajim Kumbh (Kalp) Mela Act, 2006 shall be substituted, and (c) for the word "Kumbh Mela", wherever they occur, the word "Kumbh (Kalp) Melal shall be substituted The Chhattisearh Rajim Kumbh Mela (Amendment) Ordinance, 2017 (No. 2 of 2017) is hereby, repealed

''चिजनेस पांस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी,2-22-छन्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से भिताई, दिनांक 30-05-2001



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जनवरी 2019 — माघ 3, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 23 जनवरी 2019

क्रमांक 868/डी. 13/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 19-01-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगद राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम,

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम. विस्तार तथा प्रारंभ

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ राजिम कुंभ (कत्प) मेला (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलाएगा.
- (2) इसका विस्तार ऐसे क्षेत्र पर होगा जिसे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर राजपत्र में राजिम कुंभ (कत्य) मेता क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाये.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख़ से प्रवृत्त होगा.

मूल अधिनियम का संशोधन

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कत्प) मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) में,-

- (क) प्रस्तावना में, शब्द "कुंभ (कल्प) मेला" के स्थान पर, शब्द "माघी पुन्नी मेला" प्रतिस्थापित किया जाये;
- (ख) धारा 1 की उप-धारा (1) में, संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006" के स्थान पर, संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006" प्रतिस्थापित किया जाये; और
- (ग) जहां कहीं भी शब्द "कुंभ (कल्प) मेला" आया हो, के स्थान पर, शब्द "माघी पुन्नी मेला" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 2 का संशोधन.

.

3.

- मूल अधिनियम में, धारा 2 में, खण्ड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
 - "(7) "मेला" से तात्पर्य है, राजिम में प्रतिवर्ष होने वाला माघी पुन्नी मेला;

अटल नगर, दिनांक 23 जनवरी 2019

क्रमांक 868/डी. 13/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.—- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-01-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपात के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 1 of 2019)

THE CHHATTISGARH RAJIM KUMBH (KALP) MELA (AMENDMENT) ACT, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajim Kumbh (Kalp) Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajim Kumbh (Kalp) Mela (Amendment) Act. 2019.

Short title, extent and commencement.

- (2) It shall extend to such area as may be notified in the Official Gazette, by the State Government, as the Rajim Kumbh (Kalp) Mela Area, from time to time.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Chhattisgarh Rajim Kumbh (Kalp) Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006), -

Amendment of the Principal Act.

- in the preamble, for the words "Kumbh (Kalp) Mela", the words "Maghi Punni Mela" shall be substituted:
- (b) in sub-section (1) of Section 1, for the short title "the Chhattisgarh Rajim Kumbh (Kalp) Mela Act, 2006", the short title "the Chhattisgarh Rajim Maghi Punni Mela Act, 2006" shall be substituted; and
- for the word "Kumbh (Kalp) Mela", wherever they occur, the word "Maghi Punni Mela" shall be substituted.
- 3. In the Principal Act, in Section 2, for clause (7), the following shall be substituted, namely:-

Amendment of Section 2.

"(7) "Mela" means Maghi Punni Mela at Rajim held every year;"

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 420]

ूरायपुर, बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2024 — श्रावण 23, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

⁻अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2024

क्रमांक 7115/डी. 55/21-अ/प्रारू./छ. ग./24. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 15-07-2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) अधिनियम, 2024.

छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006 (क्र.22 सन् 2006) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार 1. तथा प्रारंभ.
- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार ऐसे क्षेत्र पर होगा जिसे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर राजपत्र में राजिम माघी पुन्नी मेला क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाये |
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- प्रस्तावना का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट है), की प्रस्तावना में, शब्द "माघी पुन्नी मेला" के स्थान पर, शब्द "कुंभ (कल्प) मेला" प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 1 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (1) में, संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006" के स्थान पर, संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006" प्रतिस्थापित किया जाये |
- धारा 2 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएें, अर्थात् :-
 - "(7) "मेला" से तात्पर्य है, राजिम में प्रतिवर्ष होने वाला कुंभ (कल्प) मेला;"
- शब्द "कुंभ (कल्प) मेला" 5. मूल अधिनियम में शब्द "माघी पुन्नी मेला" जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "कुंभ (कल्प) मेला" का प्रतिस्थापन. प्रतिस्थापन किया जाए |

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2024

क्रमांक 7115/डी. 55/21-अ/प्रारू./छ. ग./24. —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 14 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

of

CHHATTISGARH ACT (No. 6 of 2024)

THE CHHATTISGARH RAJIM MAGHI PUNNI MELA (AMENDMENT) ACT, 2024.

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajim Maghi Punni Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajim Maghi Punni Mela
(Amendment) Act, 2024.

Short title,
extent and
commencement.

- (2) It shall extend to such area as may be notified in the Official Gazette, by the State Government, as the Rajim Maghi Punni Mela Area, from time to time.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the preamble of the Chhattisgarh Rajim Maghi Punni Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "Maghi Punni Mela", the words "Kumbh (Kalp) Mela" shall be substituted.

 Amendment the Preamble.
- 3. In sub-section (1) of Section 1 of the Principal Act, for the short title "the Chhattisgarh Rajim Maghi Punni Mela Act, 2006", the short title "the Chhattisgarh Rajim Kumbh (Kalp) Mela Act, 2006" shall be substituted.

 Amendment Section 1.
- 4. For clause (7) of Section 2 of the Principal Act, the following shall be substituted, Amendment of Section 2.
 - "(7) "Mela" means Kumbh (Kalp) Mela at Rajim held every year."
- 5. In the Principal Act, for the words "Maghi Punni Mela" wherever they occur, the words "Kumbha (Kalp) Mela" shall be substituted.

 Substitution of the words "Kumbha (Kalp) Mela" (Kalp) Mela".